सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

विभाग का नाम – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर

(मैनुअल–1)

विभाग के उद्देश्य/दायित्व/कर्तव्य

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण–संवर्धन के दायित्वों का निर्वहन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन तथा इसमें प्रावधानित सभी पात्रताओं का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराना ।
2. सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं नियंत्रित दरों पर उपलब्ध करवाना ।
4. खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आम उपभोक्ताओं को सुगमता से उपलब्धता एवं प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विभाग से संबंधित नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।
5. घोषित समर्थन मूल्य पर धान तथा मक्का के उपार्जन की व्यवस्था कराना जिससे कृषकों को उनकी उपज का मूल्य मिल सके ।
6. विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य।
7. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन।
8. विधिक मापविज्ञान से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन।
9. व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले उपकरणों की विशुद्धता बनाए रखना। बांट माप तथा तौल उपकरणों के सत्यापन/मुदांकन हेतु शिविरों का आयोजन।

10. व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध नियमों के तहत कार्यवाही। बांट–माप तथा तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय करना।

11. विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन।

12. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभाग की सूचीबद्ध सेवाओं का क्रियान्वयन।

13. बाजारों में मूल्य नियंत्रण बनाये रखने हेतु प्रतिदिन दैनिक बाजार भाव की जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध कराना।

(मैनुअल–2)

अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार एवं कर्तव्य –

(अ) <u>प्रशासकीय अधिकार</u>

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग.खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन ।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सफल क्रियान्वयन ।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।
4. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अमले की नियुक्ति ।
5. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण ।
6. समर्थन मूल्य पर धान एव मक्का उपार्जन से संबंधित कार्यवाही का पर्यवेक्षण ।
7. उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराने की कार्यवाही का पर्यवेक्षण ।
8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित क्रियाकलापों का क्रियान्वयन ।
9. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित समस्त नीतिगत कार्यों का क्रियान्वयन ।

(ब) वित्तीय अधिकार

1. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खण्ड 1 एवं 2 में निहित शक्तियों का प्रयोग ।
2. संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्तों आदि का आहरण ।

(स) कर्तव्य

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा केन्द्र शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन तथा राज्य सरकार द्वारा शामिल अन्य आवश्यक वस्तुओं का जिलेवार पुनराबंटन ।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना, गुड़ एवं मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना ।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना ।
4. अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।
5. समर्थन मूल्य के तहत कृषकों से धान, मक्का आदि के उपार्जन की व्यवस्था कराना ।
6. उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियां संचालित कराना ।
7. सचिव, खाद्य द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य ।

अपर संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार एवं कर्तव्य –

(अ) प्रशासकीय अधिकार

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग.खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन ।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सफल क्रियान्वयन ।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।
4. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण ।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित कार्य ।

(ब) वित्तीय अधिकार – निरंक

(स) कर्तव्य

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का कियान्वयन ।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा केन्द्र शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि के आबंटन का जिलेवार पुनराबंटन जारी करना ।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना, गुड एवं मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार समय पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना ।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का कियान्वयन एवं परिपालन कराना ।
5. अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।
6. संचालक, खाद्य द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

संयुक्त संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार एवं कर्तव्य –

(अ) प्रशासकीय अधिकार

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पाषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का कियान्वयन ।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सफल कियान्वयन ।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का कियान्वयन ।
4. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण ।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित कार्य ।

(ब) वित्तीय अधिकार – निरंक

(स) कर्तव्य

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का कियान्वयन ।

2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा केन्द्र शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि के आबंटन का जिलेवार पुनराबंटन जारी करना ।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना, गुड एवं मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार समय पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना ।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना ।

5. अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।

6. संचालक, खाद्य द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

उपसंचालक एवं सहायक संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार एवं कर्तव्य –

(अ) प्रशासकीय अधिकार

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन ।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सफल क्रियान्वयन ।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन ।
4. अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण ।

(ब) वित्तीय अधिकार – निरंक

(स) कर्तव्य

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन ।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा केन्द्र शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि के आबंटन का जिलेवार पुनराबंटन जारी करना ।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना, गुड एवं मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार समय पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना ।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना ।

5. अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।

6. संचालक, खाद्य द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

(मैनुअल–3)

कृत्यों के निवहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

(मैनुअल–4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था का विवरण

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खण्ड 7 के प्रावधानों के कियान्वयन हेतु एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित पर्यवेक्षण हेतु जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से राज्य, जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर सर्तकता समितियों का गठन किया गया है । खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु जनभागीदारी वेबसाइट संचालित है । राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों/सुझावों को दर्ज करने एवं उनके त्वरित निराकरण हेतु आंतरिक शिकायत वितरण प्रणाली एवं टोल फ्री हेल्पलाइन का संचालन भी किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली) नियम 2016 के तहत छ.ग.राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है तथा सभी जिला में जिला शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

(मैनुअल–5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी –

कमांक	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	–	समय–समय पर संचालनालय द्वारा जारी किये गये स्थापना, बजट, खाद्य आदि से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं।	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रक्रिया अनुसार	संचालक

(मैनुअल–6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों, आयोग एवं अन्य निकायों का विवरण

लोक प्राधिकरण से संबंध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाय –

क्र.	संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	संबद्ध संस्था का प्रकार	संबद्ध संस्था का परिचय	संबद्ध संस्था की भूमिका
1	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पारेशन, ब्लॉक–7 ए, द्वितीय तल, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर	निगम	छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा 129 प्रदाय केन्द्र संचालित हैं । शक्कर मिलों से शक्कर का निगम द्वारा उठाव किया जाकर प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाया जाता हैं ।	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, द्वारा शासन के कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य संपादित किया जा रहा है।
2	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, प्रधान कार्यालय – ग्राम झांझ, सेक्टर –24, अटल नगर, नवा रायपुर	निगम	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेव्हलपमेंट एण्ड वेयर हाउसिग कार्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत 2 मई, 2002 को हुई है । निगम में राज्य शासन एवं केन्द्रीय भण्डार निगम 50–50 प्रतिशत अंशधारी है।	स्कंधों के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निमाण करना तथा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का प्रमुख उद्देश्य है।
3	छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर	आयोग	छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण हेतु दिनांक 01.11.2002 को किया गया है।	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य कार्य जिला आयोग के निर्णयों के विरूद्ध आने वाली अपीलों/रिविजन की सुनवाई तथा रूपये 50 लाख से अधिक एवं 2 करोड़ तक की शिकायतों की सुनवाई की जाती है।
4	छ.ग.राज्य खाद्य आयोग, सेक्टर 17, अटल नगर, रायपुर	आयोग	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम 2016 की कंडिका 8 (क) के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा किया गया है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा की जाती है ।

(मैनुअल–7)
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है –

क्र.		अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर	पता
1.	लोक सूचना अधिकारी	श्री अनुराग सिंह भदौरिया	सहायक संचालक	0771–2510474	खाद्य संचालनालय, ब्लाक–2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
2.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री पारण सोलंकी	खाद्य निरीक्षक	0771–2511974	खाद्य संचालनालय, ब्लाक–2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

विभागीय अपीलीय अधिकारी

क्र.		नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर	पता
1.	अपीलीय अधिकारी	श्री अजय कुमार अग्रवाल	अपर संचालक	0771–2510820	खाद्य संचालनालय, ब्लाक–2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

(मैनुअल–8)

<u>निर्णय लेने की प्रकिया</u> :–

I. लोक प्राधिकारियों द्वारा किसी विषय पर छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार निर्णय लिया जाता है ।

II. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम और प्रकिया –
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रचलित नियंत्रण आदेशों में निहित उपबंधों के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

III. लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था –
समाचार पत्रों विभागीय वेबसाइट एवं प्रचार माध्यमों से ।

IV. अंतिम निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकारी – संचालक

(मैनुअल–9)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर	पता
1	श्री अभिनव अग्रवाल	संचालक	0771-2511974	खाद्य संचालनालय, ब्लाक–2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
2	श्री राजीव कुमार जायसवाल	अपर संचालक	0771-2511975	——‘‘——
3	श्री अजय कुमार अग्रवाल	अपर संचालक	0771-2510820	——‘‘——
4	श्री विक्रम राम भगत	संयुक्त संचालक(वित्त)	0771-2511974	——‘‘——
5	श्री जी.एस. राठौर	उपसंचालक	0771-2511974	——‘‘——
6	सुश्री सीमा अग्रवाल	सहायक संचालक	0771-2883539	——‘‘——
7	श्री अनुराग सिंह भदौरिया	सहायक संचालक	0771-2510474	——‘‘——
8	श्री घनश्याम सिंह कंवर	सहायक संचालक	0771-2511974	——‘‘——
9	श्री खुमेश्वर सिंह	सहायक संचालक	0771-2511974	——‘‘——
10	श्रीमती किरण पाठक	सहायक प्रोग्रामर	0771-2511974	——‘‘——
11	श्रीमती पूजाश्री सोनी	शीघ्रलेखक वर्ग–2	0771-2511974	——‘‘——
12	श्रीमती प्रतिभा राठिया	सहायक खाद्य अधिकारी	0771-2511974	——‘‘——
13	सुश्री अमरौतिन खुटे	अधीक्षक	0771-2511974	——‘‘——
14	श्री भूषण सिन्हा	अधीक्षक	0771-2511974	——‘‘——
15	श्री पारण सोलंकी	खाद्य निरीक्षक	0771-2511974	——‘‘——
16	श्रीमती आस्था गौतम	खाद्य निरीक्षक	0771-2511974	——‘‘——
17	सुश्री श्वेता दीवान	खाद्य निरीक्षक	0771-2511974	——‘‘——
18	श्री दिलीप कुमार बंजारे	सहायक ग्रेड–1	0771-2511974	——‘‘——
19	श्री युवराज साहू	सहायक ग्रेड–1	0771-2511974	——‘‘——
20	श्री ईश्वर राव जगताप	सहायक ग्रेड–1	0771-2511974	——‘‘——
21	श्रीमती नेहा शुक्ला	सहायक ग्रेड–1	0771-2511974	——‘‘——
22	श्री मंगलदास चतुर्वेदी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	0771-2511974	——‘‘——
23	श्री मधुकर आगरकर	सहायक ग्रेड–2	0771-2511974	——‘‘——
24	श्री विकास कुमार पाटकर	सहायक ग्रेड–2	0771-2511974	——‘‘——
25	श्रीमती प्रियंका गायकवाड़	सहायक ग्रेड–2	0771-2511974	——‘‘——
26	श्री अजय नाग	सहायक ग्रेड–3	0771-2511974	——‘‘——

(मैनुअल–10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल
1	संचालक	1	1	16 (129700–214300)
2	अपर संचालक	3	3	15 (118500–214100)
3	संयुक्त संचालक	5	3	14 (79900–211700)
4	संयुक्त संचालक (वित्त)	1	1	14 (79900–211700)
5	उपसंचालक	3	1	13 (67300–213100)
6	सहायक संचालक	3	4	12 (56100–177500)
7	अधीक्षक	3	2	9 (38100–120400)
8	प्रोग्रामर	1	0	9 (38100–120400)
9	सहायक प्रोग्रामर	1	1	9 (38100–120400)
10	खाद्य निरीक्षक	3	4	7 (28700–91300)
11	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	1	1	9 (38100–120400)
12	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	1	0	7 (28700–91300)
13	सहायक ग्रेड–1	4	4	7 (28700–91300)
14	डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	1	7 (28700–91300)
15	लेखापाल	1	0	6 (25300–80500)
16	सहायक ग्रेड–2	4	3	6 (25300–80500)
17	सहायक ग्रेड–3	9	1	4 (19500–62000)
18	स्टेनो टायपिस्ट	1	0	4 (19500–62000)
19	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	1	0	6 (25300–80500)
20	वाहन चालक	3	0	4 (19500–62000)
21	दफ्तरी	1	0	2 (16100–50900)
22	जमादार	1	0	2 (16100–50900)
23	भृत्य (कलेक्टर दर)	2	0	कलेक्टर दर पर
24	भृत्य	2	0	1 (15600–49400)
25	चौकीदार	2	0	1 (15600–49400)
26	फर्राश (कलेक्टर दर)	1	0	कलेक्टर दर पर
27	स्वीपर (अंशकालिक)	1	0	अंशकालिक

(मैनुअल–11 एवं 12)

विभाग का बजट

वर्ष 2022–23 के लिए बजट प्रावधान की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बजट हेतु विभागीय बजट पुस्तिका में प्रावधानित राशि (अनुपूरक अनुमान सहित) के आधार पर मांग संख्यावार बजट निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

विवरण	प्राप्त आबंटन
मांग संख्या –39 1. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग	254013.45
(क) मांग संख्या –41 अनु.जन.जा. उपयोजना	203673.90
(ख) मांग संख्या –64 अनुसूचित जाति उपयोजना	57327.14
योग	**515014.49**
भारित	**0.50**

(मैनुअल–13)

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमो के क्रियान्वयन की रीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित योजनाएं

1. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून में पात्र परिवारो को न सिर्फ खाद्य सुरक्षा हेतु प्रावधान किये गये है, अपितु संतुलित आहार की दृष्टि से भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़े, इस उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान किये गये है।

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ सभी परिवारों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक13, सन् 2019) की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2019 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की गई है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है –

अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राशन सामग्री की पात्रता हेतु परिवारों की श्रेणियां निम्नानुसार है :–

(1) अन्त्योदय परिवार (2) प्राथमिकता परिवार (3) सामान्य परिवार

***** **अन्त्योदय परिवार** :–

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में अन्त्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जो विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हों । विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल हैं–केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मुखिया निःशक्त व्यक्ति हैं, मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के है और जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नही है, मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है और परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जावे।

***** **प्राथमिकता परिवार** :–

इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा समस्त परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन्हे प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है।

***** **सामान्य परिवार** –

इस श्रेणी के अंतर्गत अत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के परिवारों को छोड़कर शेष परिवार (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता परिवार) सामान्य राशनकार्ड के लिए पात्र परिवार होंगे।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनांतर्गत जारी अन्य राशनकार्ड

* एकल निराश्रित राशनकार्ड –

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत एकल निराश्रित पेंशनधारियों को एकल निराश्रित (स्लेटी) राशनकार्ड जारी किया गया है।

* निःशक्तजन राशनकार्ड –

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश में चिन्हांकित निःशक्तजनों को राशनकार्ड जारी किया गया हैं ।

30 अप्रैल, 2022 की स्थिति में प्रदेश में अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन एवं सामान्य परिवारों के हितग्राहियों को कुल 69.80 लाख राशनकार्ड जारी किया गया है। योजनावार राशनकार्डो की जानकारी निम्नानुसार है–

(संख्या लाख में)

अन्त्योदय परिवार (पीला)	प्राथमिकता परिवार (लाल)	एकल निराश्रित (स्लेटी)	निःशक्तजन (काला)	सामान्य परिवार (सफेद)	योग
14.23	45.35	0.38	0.11	9.71	69.80

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित की गई है –

राशन सामगो को पात्रता

क.	योजना का नाम	योजनावार राशनकार्डो में खाद्यान्न की पात्रता एवं दर				
		खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	केरोसिन	चना
1	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10 किलो , 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशनकार्ड 1 किलोग्राम 17.00 रू. प्रतिकिलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क	**नगरीय क्षेत्र में** अधिकतम – 02 लीटर **ग्रामीण क्षेत्र में** गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम – 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रू. प्रतिकिलो की दर से
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 किलो 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35 किलो 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	07 किलो प्रति सदस्य , 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
2	अन्त्योदय राशनकार्ड	35 किलो 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
3.	एकल निराश्रित राशनकार्ड	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	निःशक्तजन राशनकार्ड	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड				
5	01 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	10 किलो , 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	02 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	20 किलो 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	03 या अधिक सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	35 किलो 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				

टीप –

- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है।

विभिन्न हितग्राही समूहों की पात्रताएं –

इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न हितग्राही समूहों हेतु निम्नलिखित प्रावधान है –

1. गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार।
2. छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
3. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालया, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शाला दिवस में निःशुल्क मध्यान्ह भोजन ।
4. आश्रम/छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं हेतु रियायती दर पर खाद्यान्न ।
5. कुपोषित बच्चों की पहचान व उन्हें निःशुल्क उचित पोषक आहार ।
6. आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों हेतु छः माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ।

2. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

यह योजना अप्रैल 2007 से राज्य में प्रचलित है जो कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं उपभोक्ता दर पर राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को चावल उपलब्ध कराने तथा राज्य शासन द्वारा स्टेट पूल के अंतर्गत वितरित चावल की सब्सिडी जारी करने के उद्देश्य से राज्य संचालित योजना है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में जारी समस्त 69.80 लाख राशनकार्ड से संबद्ध हितग्राही भाामिल है। योजनांतर्गत स्टेट पूल हेतु चावल की वार्षिक आवश्यकता 12 लाख टन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजना हेतु 3,400 करोड़ रू. की राशि का प्रावधान किया गया है।

3. सार्वभौम पीडीएस (Universal PDS) –

राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु 02 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस प्रारंभ किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशनकार्डो की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किला, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गइ है। माह अगस्त 2019 से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। सामान्य राशनकार्डो में खाद्यान्न की पात्रता – 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किग्रा, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किग्रा, 03 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किग्रा खाद्यान्न 10 रूपये प्रति किग्रा प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

4. वन नेशन वन राशनकार्ड योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समन्वित प्रबंधन (IM-PDS)

भारत सरकार की वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को अन्य राज्य में प्रवास के दौरान उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के राज्य में क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है तथा आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री के वितरण हेतु प्रदेश में संचालित 13,347 उचित मूल्य दुकानों में से 13,301 उचित मूल्य दुकानों में ई–पॉस उपकरण स्थापित किया जा चुका है।

देश के सभी राज्यों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डेटाबेस के एकीकरण हेतु आईएम–पीडीएस योजना का उद्देश्य सभी राज्यों से पीडीएस का डेटा प्राप्त कर एक केन्द्रीकत डेटाबेस तैयार करना तथा आधार नंबर की सहायता से राशनकार्ड डेटाबेस का डि–डुप्लीकेशन करना तथा प्रवास के दौरान हितग्राही परिवार को अन्य राज्य से राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डधारियों के राशन सामग्री वितरण की मॉनिटरिंग हेतु संेट्रल डेटाबेस तैयार कर राशनकार्ड डेटा एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से हितग्राहियों को राशन सामग्री वितरण की मॉनिटरिंग हेतु उपरोक्त योजना 2018–19 से प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त मॉनिटरिंग हेतु राज्यों में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करने तथा अन्य कार्यवाही के लिए प्रथम किश्त में राशि 92.35 लाख रूपए, द्वितीय किश्त राशि 56.64 लाख रूपए, तृतीय किश्त राशि 17.19 लाख कुल राशि 166.18 लाख रूपए का बजट भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। इसमें से संपूर्ण राशि 166.18 लाख रूपए का उपयोग किया गया है।

5. फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश राशि का अनुपात 75:25 है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन–बी 12) फोर्टिफाईड राईस के वितरण का शुभारंभ कोण्डागांव जिले में 01 नवंबर, 2020 से किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 म राज्य के 10 आकांक्षी जिलों तथा 02 उच्च भार वाले जिलों में इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा राज्य योजना के राशनकार्डो में स्वयं के व्यय पर फोर्टिफाईड राईस वितरण किया जा रहा है।

6. अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना अति गरीब परिवारा के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह 7,18,900 हितग्राहियों हेतु केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का स्थायी आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य द्वारा अतिरिक्त जारी अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत 14.23 लाख राशनकार्ड प्रचलित है ।

7. छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय

इस योजना के अंतर्गत राज्य के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों को बी.पी.एल दर पर 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह की पात्रता है । वर्ष 2019–20 से भारत सरकार द्वारा केवल शासकीय एवं शासकीय स्वामित्व वाले छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आबंटन जारी किया जा रहा है। राज्य के अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त आश्रम/छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न आबंटन दिया जा रहा है।

8. रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक वितरण योजना

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है । रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक वितरण में होने वाले व्यय अथवा हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया जाता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 49.34 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है ।

9. चना वितरण योजना

जनवरी 2013 से राज्य के सभो अनुसूचित विकासखण्डों तथा 1 फरवरी 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपए 171 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

10. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकाडर्रधारियों को मई 2021 से प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत राज्य को प्रतिमाह 100385 मेट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन प्राप्त हुआ है। राज्य शासन द्वारा स्टेट पूल के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त पात्रता के समकक्ष अतिरिक्त निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है।

11. पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण

प्रदेश के ऐसे स्थानों, जहां वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता हैं। पहुंचविहीन केन्द्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भण्डारण कराया गया है।

12. विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना

राज्य में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना अप्रैल 2002 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसानों से धान उपार्जन हेतु राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा चावल उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन है। समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान से मिलिंग उपरांत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। राज्य में अतिरिक्त उपार्जित चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से राज्य पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए चावल की आपूर्ति में आत्मनिर्भर हुआ है। देश के अन्य राज्यो के पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल में सर्वाधिक चावल का परिदान करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है।

खरीफ वर्ष 2021–22 में समर्थन मूल्य पर किसानों से 01 दिसंबर, 2021 से 07 फरवरी 2022 तक धान की खरीदी की गयी। भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2021–22 में कॉमन धान हेतु

1940 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान हेतु 1960 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित है। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु 2405274 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया। इस वर्ष 2020 सहकारी समितियों के 2484 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से दिनांक 07 फरवरी 2022 तक की स्थिति में 97.98 लाख मे.टन धान की खरीदी की गइ। खरीफ वर्ष 2021–22 में दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की स्थिति में खरीदी केन्द्रों से 22.90 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रो को जारी किया गया है एवं समितियों/धान उपार्जन केन्द्रों से राईस मिलों/धान संग्रहण केन्द्रों को कुल 97.84 लाख टन धान प्रदाय किया गया। कस्टम मिलिंग उपरांत 18.61 लाख मे. टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम में तथा 21.21 लाख मे. टन चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया गया।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन से संबंधित किसानों को जानकारी, शिकायत एवं सुझाव के लिए राज्य शासन द्वारा **किसान हेल्प लाईन नंबर 1800–233–3663 एवं 1967** प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस हेल्प लाईन नंबर 112 में भी धान विक्रय, भुगतान, बारदाना, टोकन आदि से संबंधित शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराए जाने की सुविधा दी गयी

धान/चावल उपार्जन कार्य में पारदर्शिता हेतु कम्प्यूटरीकरण

खरीफ वर्ष 2007–08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव से आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया गया । इस वर्ष भी राज्य के 2,484 धान खरीदी केन्द्रों मे राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है।

खरीफ वर्ष 2021–22 में धान खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु धान खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय के लिए किसानों द्वारा स्वयं पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई है । इस वर्ष कुल 24.05 लाख किसानों द्वारा समितियों के खरीदी केन्द्र में धान विक्रय हेतु अपना पंजीयन कराया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा, धान का अनुमानित उत्पादन एवं विक्रय हेतु अनुमानित धान की मात्रा आदि की जानकारो धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के साफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई ।

खरीदी केन्द्रों में ऑनलाईन धान खरीदी का कार्य वर्ष 2012–13 से प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष संचालित 2,484 धान खरीदी केन्द्रों में से इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाईन धान खरीदी की व्यवस्था की गई । राज्य सरकार के इस प्रयास से धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की जानकारी तत्काल उपलब्ध हो रहा है। आवश्यकतानुसार कुछ धान खरीदी केन्द्रों में मोटर साईकल रनर्स के जरिए प्रतिदिन धान खरीदी का डेटा वेबसाइट में अपलोड किया जाता है । अधिकांश किसानों को धान खरीदी का आनलाईन भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है जिससे उन्हे उनकी उपज का पूरा एवं तत्काल भुगतान प्राप्त हो रहा है।

शासकीय धान की कस्टम मिलिंग एवं कस्टम मिल्ड चावल के उपार्जन की समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है, जिसके फलस्वरूप कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय धान एवं जमा हो रहे कस्टम मिल्ड चावल की जानकारी विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन उपलब्ध है। इस वर्ष 31 जनवरी 2022 तक समितियों से सीधे राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु 41.21 लाख टन धान का प्रदाय किया गया । इस अवधि तक खरीदी केन्द्रों से 14.02 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रों को जारी किया गया।

13. उचित मूल्य दुकान कम्प्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं वर्ष 2008 तक सभी योजनाआ के राशनकार्ड डेटाबेस तैयार करने के साथ–साथ राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 13,278 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डों के आधार पर जनवरी, 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के सभी 130 प्रदाय केन्द्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार राज्य मुख्यालय से लेकर लगभग राज्य के तहसील स्तर तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन सामग्री के आबंटन प्रदाय की प्रक्रिया ऑनलाईन है। कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन भी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आनलाईन किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से यह व्यवस्था पूर्व की तुलना में अधिक पारदर्शी एवं कार्यक्षम हुई है तथा इसकी मानिटरिंग में आशानुरूप सुधार हुआ है।

राज्य में पीडीएस के अंतिम चरण में उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण ई–पॉस उपकरण के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 13,301 उचित मूल्य दुकान कम्प्यूटरीकृत है। उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियो को सुविधानुसार अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी होगी।

14. केरोसीन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो के लिए भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वर्तमान में प्रतिमाह 2,912 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन प्राप्त हो रहा है । राशनकार्डो में केरोसिन की मासिक पात्रता शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर, गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर तथा अनुसूचित ग्रामोण क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर प्रतिकार्ड निर्धारित की गई है ।

राज्य में केरोसिन का वितरण थोक केरोसिन डीलर्स, लीड समितियों, उचित मूल्य दुकानों, एवं हॉकर्स के माध्यम से किया जा रहा है । प्रदेश में 68 थोक केरोसिन डीलरों के माध्यम से 13,278 उचित मूल्य दुकानों के अतिरिक्त 203 हॉकर्स द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसिन वितरित कराया जा रहा है ।

15. पेट्रोलियम पदार्थों की प्रदाय व्यवस्था

प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के प्रदाय हेतु ऑयल कंपनियों के 3 डिपो संचालित है। पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण 1,826 पट्रोल एवं डीजल पम्पों, 68 थोक केरोसिन विक्रेताओं तथा 507 एल.पी.जी. वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जा रहा है।

(मैनुअल–14)

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों की प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

संचालनालय से संबंधित नहीं है।

(मैनुअल–15)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

विभाग से संबंधित प्रभावशील अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, प्रदाय तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार एव राज्य सरकार द्वारा जारी विभाग से संबंधित निम्नलिखित मुख्य अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील है –

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
2. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेश
4. भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015
5. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016
6. छत्तीसगढ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979

7. छत्तीसगढ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980

8. छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना आदेश, 1980

9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

10. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

11. छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009

12. केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

13. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000

14. मोटर स्पीरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005

15. छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016

16. छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016

17. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016

18. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता और जवाबदेही) नियम, 2017

(मैनुअल–16)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं
जनभागीदारी वेबसाईट

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित जानकारियां जन भागीदारी वेबसाईट https://khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx पर प्रदर्शित है।

जनभागीदारी वेबसाईट में निम्न जानकारियां प्रदर्शित है –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित राशनकार्ड की जिलेवार, उचित मूल्य दुकानवार, विकासखण्डवार, ग्राम/वार्डवार, जाति/संवर्गवार जानकारी ।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य दुकान की जिलेवार, संचालन एजेंसीवार, शहरी/ग्रामीण, पहुंचविहीन उचित मूल्य दुकान आदि की जानकारी।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिलेवार, उचित मूल्य दुकानवार, प्रदाय केन्द्रवार, खाद्यान्न आबंटन की जानकारी ।

4. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की जानकारी – जिलेवार, खरीदी केन्द्रवार किसानों की जानकारी, जिलेवार धान प्राप्ति की जानकारी, संग्रहण केन्द्रवार संग्रहित धान की जानकारी, धान खरीदी की दैनिक जानकारी, कस्टम मिलिंग के लिये धान की अनुमति एवं अनुबंध तथा जारी डीओ का विवरण । कस्टम मिलिंग के बाद नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय सीएमआर चावल एवं लेव्ही चावल की जानकारी ।

5. अधिसूचनाऐं एवं शासन आदेश की जानकारी – छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाऐं, प्रशासनिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016, धान उपार्जन पॉलिसी, कस्टम मिलिंग पॉलिसी आदि ।

(मैनुअल–17)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए संचालनालय में दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त विभाग से संबंधित जानकारियां राज्य स्तरीय विभागीय कॉल सेन्टर एवं विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट से प्राप्त करने की व्यवस्था है।

कॉल सेन्टर

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामाग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है । खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है । कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमांक **1800–233–3663** तथा **1967** है। यह टोल फ्री (निःशुल्क) फोन लाईनें है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

इसके अतिरिक्त विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट https://khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में विभाग से संबंधित जानकारियां नागरिकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है ।